

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2023/280

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
विनोद बनाम श्योपत आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 309 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22.11.2023	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 26.12.2023 को पेश हो</p>	
26.12.2023	<p>1कुलाए कोसकन उपस्थत/PU माह 31 अक्टूबर। पत्रावली 29.12.2023 गस्त 29.12.2023 दिनांक 29.12.2023 को पेश हो</p>	
29.2.2024	<p>कार संख्या का कार्य समाप्त होने पर पत्रावली पुनर्पेश दिनांक 25.12.2023 को पेश हो</p>	
7.5.2024	<p>1कुलाए कोसकन उपस्थत/PU माह 31 अक्टूबर। पत्रावली 27.5.2024 गस्त 27.5.2024 दिनांक 27.5.2024 को पेश हो</p>	
5.7.2024	<p>1कुलाए कोसकन उपस्थत/PU माह 31 अक्टूबर। पत्रावली 27.7.2024 गस्त 27.7.2024 दिनांक 27.7.2024 को पेश हो</p>	
10.9.2024	<p>पत्रावली पेश करी। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वयं को बालकट आवाज लगाकर छिटे भी-हाजिर नहीं। वाद वही शरत- पुत्री व शरत हाजरी में जारी ज बिधा जा रहा है। पत्रावली नम्बर को प्रकाश की जाकर 15 तक 15- तक भील जा रहा फाइल बफतर हो</p>	

